बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक .... /पटना, दिनांक .... /2018

सं0सं0–ह0क0(13)योजना(अनु0 जाति/जन जाति)–6/2017

प्रेषक,

उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

सेवा में,

स्मार पत्र

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, पटना/गया/भागलपुर/रोहतास/सिवान/औरंगाबाद/नवादा।
उप विकास पदा0(वस्त्र), गया।

विषयः–सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित सदस्यों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना का कार्यालय का पत्रांक–140 दि0–30.01.18, निदेशालय पत्रांक–381 दि0–06.03.2018 पत्रांक–864 दि0–06.05.18, पत्रांक–1249 दि0–19.07.18, पत्रांक–1480 दि0–30.08.18 एवं पत्रांक–1705 दि0–09.10.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लिया जाय। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना द्वारा उद्योग विभाग के अन्तर्गत कुटीर एवं अन्य बड़े उद्योगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरूष सदस्यों के लाभुको का वर्षवार संख्या (2001–02 से 2016–17 तक) विहित प्रपत्र में माँग की गई है, जो अभी तक अप्राप्त है।

विदित हो कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का प्रतिवेदन एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास द्वारा पी0एम0आर0वाई0, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं स्थाई निबंधन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जो हस्तकरघा प्रक्षेत्र से संबंधित नहीं है। उप विकास पदा0(वस्त्र), गया द्वारा वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गई है, जबकि वर्ष 2001–02 से 2016–17 तक का प्रतिवेदन की मांग की गई है। जो खेद का विषय है।

अतः अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में आंकड़े अंकित कर प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराई जाय ताकि समेकित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1953 पटना, दिनांक–19.11.18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/11/18

उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।